न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **162/2017**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नारायणराम पुत्र गंगाराम 2. लालाराम पुत्र लाखाराम 3. भोमाराम पुत्र लिखमाराम 4. शिवलाल पुत्र मगाराम 5. धनाराम पुत्र मगाराम 6. मोतीराम पुत्र मगाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम हरलाया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		1. जीवणराम पुत्र जुगताराम 2. मेहराम पुत्र धुडाराम 3. हिमताराम पुत्र धुडाराम 4. बालूराम पुत्र धुडाराम 5. पेमाराम पुत्र धुडाराम फौत जिनके कायम मुकाम 5/1 भंरूराम पुत्र पेमाराम 5/2 सोहनराम पुत्र पेमाराम 5/3 पूनाराम पुत्र पेमाराम 5/4 धनाराम पुत्र पेमाराम 5/5 निम्बाराम पुत्र पेमाराम 5/6 कालूराम पुत्र पेमाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम हरलाया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 136/14 बअनवान जीवनराम वगैरा बनाम नारायणराम वगैरा में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।

निर्णय

दिनांक25 नवम्बर,2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ग्राम पल्ली प्रथम के खेत खसरा संख्या 944 रकबा 48 बीघा 13 बिस्वा आया हुआ तथा उक्त भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण/ अपीलान्टस की खेत खसरा संख्या 943 व 978 की भूमि आई हुई है। उक्त खसरान भूमि के सीमाकंन बाबत रेस्पोडेन्टस के द्वारा राशि जमा करवाकर हल्का पटवारी से दिनांक 15.03.2011 को सीमांकन करवाया गया था उपरोक्त सीमांकन से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को सीमा का ज्ञान हुआ तब प्रार्थी रेस्पोडेन्टस के द्वारा रेत के दूब्बे कर मौके पर पत्थर रोपने लगा तब अप्रार्थीगण/ अपीलांट द्वारा मना किया गया तब अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के समक्ष उक्त सीमांकन के अनुसार उक्त खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 19.06.2012 को एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील संख्या 142/2012 पेश की गई जो स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को आदेश दिया गया कि आदेश पारित करने से पूर्व 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पालना किये बिना ही आदेश पारित प्रतीत होता है तथा पटवारी की सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ही अप्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे यथावत रखा जाना उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि धारा 111 व 128 एल.आर. एक्ट में दिये गये प्रावधानों का पूर्ण पालन कर दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय के उपरोक्त रिमाण्ड आदेश होने पर मूल पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को भेजी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली तारीख 10.02.2014 को पुनः नम्बर पर ली गयी तथा सुनवाई दिनांक 07.04.2014 को मुकरर की गई किन्तु बाद में उसको काटकर तारीख पेशी दिनांक 14.02.2014 लिखी गई उक्त तारीख पेशी दिनांक 14.02.2014 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.03.2014 मुकरर की गई व बाद में काटकर उसको 26.02.2014 किया गया। तारीख पेशी दिनांक 05.03.2014 को अप्रार्थी अपीलांट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा उसी रोज बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.03.2014 को मुकरर की गयी तथा न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 11.03.2014, 26.03.2014, 16.04.2014, 06.05.2014, 20.05.2014 तक आदेश पारित नहीं किया गया तत्पश्चात तारीख पेशी दिनांक 19.06.2014 मुकरर की गयी किन्तु न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने ही पत्रावली वास्ते बहस में दिनांक 09.07.2014 को रख दी गयी व दिनांक 09.07.2014 को आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी को खारिज कर दिया गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात शिवलाल, धनाराम, मोतीराम, पिसरान मगाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। तब शिवलाल वगैरा के अधिवक्ता को उसी रोज हिदायत दी गयी की आगामी पेशी पर जवाब पेश करे तथा अधिवक्ता घेवरराम को 500 रूपये कोस्ट पर जवाब हेतु अवसर दिया गया जबकि न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के कारण पत्रावली वास्ते शीर्षक संशोधन हेतु रखी जानी चाहिये थी उसके पश्चात् ही वास्ते जवाब रखी जाती फिर भी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 का जवाब बंद कर दिया गया व पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.11.2014 मुकर्रर की गयी व दिनांक 27.11.2014 को बहस सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 05.12.2014 को मुकरर की गयी और दिनांक 05.12.014 को ही आदेश पारित कर दिया गया जो विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पेशी दिनांक 11.11.2014 को

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

न्यायालय द्वारा नये पक्षकारों को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया किन्तु आगामी पेशी वास्ते जवाब थी ही नहीं क्योंकि नये पक्षकारों को रेकर्ड पर लेने के बाद पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु मुकर्रर की गयी थी तथा नये बने पक्षकारों को प्रार्थना पत्र की नकल देती थी किन्तु इस बाबत न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश में अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया गया था कि वे धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए एवं दोनों पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर नये सिरे से पुनः आदेश पारित करे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की अवहेलना कर पुनः पूर्व जैसा ही आदेश ही पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट जीवणराम के अलावा सभी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 11.07.2012 को ही सत्यनारायण वगैरा को बेचान कर दी गई तथा खरीददार के नाम से नामान्तकरण संख्या 541 भरकर स्वीकृत हो चुका था। उक्त नामान्तकरण का अनुसार राजस्व रेकर्ड में खरीददार का नाम दर्ज का दिया गया यानि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को बेचान कर दिया किन्तु इस तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय से छुपाया गया तथा न्यायालय को अंधेरे मे रखा गया। अगर अधिनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त न्यायालय् के आदेश की पालना कर कार्यवाही पूर्ण करती तो ऐसा आदेश पारित करना संभव नहीं था, इस प्रकार से बिना किसी आधार के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्व व संचिका के विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को धारा 111,128 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र को तीन बिन्दूओं को ध्यान रखकर आदेश पारित करना था। प्रथम नक्शा ट्रेस, द्वितीय नक्शा ट्रेस न होने पर मौके की माठों के अनुसार तथा इस दोनों से सन्तुष्ट नहीं होने पर मौके की जांच करवाई जानी चाहिए थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया व धारा 111,128 एल.आर.एक्ट के विरूद्व जाकर आदेश पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस द्वारा पटवारी हल्का से सीमाओं का ज्ञान करवाने हेतु बिना नक्शाट्रेस के ही सीमाओं का ज्ञान करवा लिया। जो नियमानुसार नही था क्योंकि माप केवल नक्शा ट्रेस से ही किया जा सकता है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्टस को सीमाओं का ज्ञान करवाते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा बाले–बाले एकतरफा लठा ट्रेस के आधार पर के रेत के धुम्बडे कर दिये गये व उसी गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया जो रेवेन्यू बोर्ड व रूल्स के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा खसरा संख्या 944 का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 01.07.2012 को सत्यनारायण पुत्र शंकरलाल धूत को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया, जिसको प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के स्थान पर पक्षकार बनाने के पश्चात् ही प्रार्थना पत्र चलने

लायक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पूर्व खातेदारों के नाम से ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश गोलमाल व अस्पष्ट आदेश है तथा स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2014 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आवेदन किया जिस पर अपीलान्टस जो कि उनके पडौसी काश्तकार/खातेदार है, को पक्षकार बनाया गया, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील पेश की गई जो स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सुनवाई करने हेतु प्रकरण संख्या 136/2014 दर्ज किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर रेस्पोडेन्टस के द्वारा कथन किया गया कि संदर्भित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की व कब्जा काश्त की है जिसकी पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकारी है जिसे रोकने या लम्बित करने की कोई वजह नहीं है। रिमाण्ड प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से यह कहा गया कि प्रार्थीगण बहुत अधिक है एवं जीवणराम की जमीन कौन–कौन सी व कहॉ–कहॉ पर स्थित है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। मौके पर कोई भी सीमांकन पटवारी हल्का ने नहीं किया है और सीमाकंन रिपोर्ट में जरीब चलाने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं है, यदि सीमांकन होता तो वस्तुस्थिति सामने आ जाती। बिना सीमांकन के पत्थरगढी नहीं करवाई जा सकती है। अतः रेस्पोडेन्टस जीवणराम वगैराह का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस के उक्त कथनों का विरोध करते हुए रेस्पो0 के द्वारा यह निवेदन किया गया था कि सभी पडौसी के खसरा नम्बर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पडौसी खातेदार से आपसी विवाद है उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है एवं भूमि का सीमाकंन राजस्व कार्मिकों के द्वारा ही किया गया है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलान्टस स्वयं भी पेमाइश करवा सकते थे परन्तु हमारे द्वारा करवाई जा रही सीमांकन व पत्थरगढी में बाधा डाल रहे है अतः उनके कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि इस प्रकार माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा प्रेषित रिमाण्ड प्रकरण में दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकारी मानते हुए सीमाकंन रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखा जावें। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश की पालना में मौके पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 इत्यादि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में जरिये अपील संख्या 142/2012 माननीय न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर द्वारा दिनांक 13.01.2014 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां का दिनांक 16.05.2012 को पारित किया गया आदेश निरस्त कर धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना व दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 05.12.2014 दोनों पक्षकारान की सुनवाई करने के पश्चात विधिवत निर्णय पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2014 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। फलतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर